छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

880, सिविल–लाईन्स, मुख्यालय–रायपुर (छ0ग0)

दूरभाष नंबर : 0771–2445611 फैक्स नंबर : 2426396

खरीफ विपणन वर्ष 2015–16

धान/खाद्यान्न/बारदाना एवं अन्य सामग्री के परिवहन कार्य हेतु

ई–निविदा प्रपत्र

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित्

880, सिविल लाईन्स, मुख्यालय रायपुर (छ.ग.) 492001

धान/खाद्यान्न/बारदाना एवं अन्य सामग्री के परिवहन कार्य हेतु ई–निविदा

खरीफ विपणन वर्ष 2015–16 की विषय सूची

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक से पृष्ठ क्रमांक तक
01	ई–निविदा से संबंधित तिथिवार जानकारी	3
02	निविदाकार से संबंधित जानकारी	4
03	उद्‌बोधन	5
04	निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें परिशिष्ठ –1	6 से 14
05	निविदाकर्त्ता का परिचय एवं विवरण भाग (क) तकनीकी लिफाफा हेतु परिशिष्ठ –2	15 से 16
06	धान/खाद्यान्न परिवहन हेतु निविदा दर भाग (ख) वित्तीय लिफाफा हेतु परिशिष्ठ –3	17 से 18
07	निविदाकर्त्ता से इकरारनामा का प्रारूप परिशिष्ठ –4	19 से 21
08	सत्यनिष्ठा संधि	22 से 30

1) निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर कर अपने सील अंकित की जावेगी। समस्त परिशिष्ट निविदा दस्तावेज के अभिन्न अंग माने जायेंगे।

2) समस्त निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उक्त परिशिष्टों का गहन अध्ययन करने के उपरांत ही अपनी दरें प्रस्तुत करें ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा विधिवत रूप से प्रस्तुत हो सके।

प्रबंध संचालक

कार्यालय छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
880, सिविल–लाईन्स, मुख्यालय–रायपुर (छ0ग0)

1. परिवहनकर्ता का नाम एवं पता :– .....
2. जिले का नाम :– .....

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2015–16 के लिये निविदा (ई–टेण्डर) के माध्यम से परिवहन कार्य हेतु इच्छुक परिवहनकर्ताओं से निविदायें विपणन संघ के निर्धारित ई–निविदा में आमंत्रित की जाती है :–

Seq. No.	MARKFED	Bidder	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender	-	19.10.2015	10.00	19.10.2015	17.30	
2		Bid Download	19.10.2015	17.31	08.11.2015	13.00	
3		Submit Bid Hash on line Payment of bid submission fee	19.10.2015	17.31	08.11.2015	13.00	Envelope A and Envelope C
4	Close For Bidding (Super Hash)	-	08.11.2015	13.01	08.11.2015	17.00	Envelope A and Envelope C
5		Submit Bids on line (only with encryption by department pub. Key.)	08.11.2015	17.01	09.11.2015	13.00	Envelope A and Envelope C
6		1) Physical Submission of EMD in Envelope A (by Personaly)	08.11.2015	17.01	09.11.2015	13.00	Submission of EMD & along with "Technical Bid " Envelope 'A'' by personnally accepted, not by post or any courier)
7	Open/ Evaluation Of Envelope A	-	09.11.2015	13.01	10.11.2015	14.00	Envelope A
8	Open Price/financial bid Envelope C	-	10.11.2015	14.01	10.11.2015	17.30	Envelop 'C'
9	Evaluation of price Envelope C (and information to successful bidders in negotiation)	-	10.11.2015	14.01	10.11.2015	17.30	
10		Fill Negotiate Rates (if required)	-	-	-	-	
11	View Item rate Form	-	-	-	-	-	
12	Tender Award	-	13.11.2015	10.00	13.11.2015	17.30	

नोटः–

1. ऑनलाईन निविदा भरने के पश्चात ई निविदा से संबंधीत समस्त जानकारी निविदाकर्ता के ई मेल आई डी में समय–समय पर उपल्ब्ध होगी कृपया ई मेल आई डी मे प्राप्त जानकारी अनुसार ई टेन्डर की प्रक्रिया पूर्ण करे।
2. ई निविदा भरने की पूर्ण प्रकिया निविदाकर्ता द्वारा उक्त तालीका के बिन्दु क्रमांक 5 में उलेखीत **Re-encryption** पूर्ण करने के पस्चात ही निविदा पूर्ण होगी।

निविदा फार्म जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम एवं पदमुद्रा

कार्यालय छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
880, सिविल–लाईन्स, मुख्यालय–रायपुर (छ0ग0)

धान/खाद्यान्न/बारदाना एवं अन्य सामग्री के परिवहन कार्य हेतु निविदा
खरीफ विपणन वर्ष 2015–16

1. निविदाकर्ता का नाम व पता — श्री/सुश्री.....
   पिता/पति का नाम.....
2. निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम .....
   पूर्ण पता एवं मोबाईल नंबर .....
3. जिला का नाम .....
   जिसके लिए निविदा भरी जा रही है .....

टिप्पणी

1. निविदा खोलने के लिये निर्धारित तारीख को यदि अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अवकाश के पश्चात् अगले कार्यकारी दिवस को खोली जायेगी लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये गये समय में परिवर्तन नहीं होगा।
2. निविदा आनलाईन में ही प्रस्तुत की जावेगी एवं इसके अतिरिक्त निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर एक प्रति भरकर सीलयुक्त हस्ताक्षर कर भौतिक रूप से अन्य आवश्यक दस्तावेज के साथ निविदा खोलने की तिथि को संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी।
3. निविदा प्रपत्र विपणन संघ की वेबसाईट **www.cgmarkfed.in** पर उपलब्ध है। निविदा फार्म के लिए 2000 रूपये (समस्त कर सहित प्रति संग्रहण केंन्द्र) निविदा फीस का डी.डी. किसी अनुसूचित बैंक का जो छ0ग0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के नाम से देय होगा, निविदा फार्म के टेक्नीकल बीड के साथ जमा करना अनिवार्य होगा एवं बीड सबमिशन हेतु निर्धारित प्रोसेसिंग फीस चिप्स के एकाउंट में ऑनलाईन के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
4. प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा पप्रत्र में पृष्ठ क्रमांक 1 से 30 तक है जिसे ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना है।

निविदा फार्म जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पदमुद्रा

जारीकर्ता कार्यालय.....
जारी दिनांक .....

उद्बोधन

प्रिय निविदाकार,

छ.ग. राज्य में शासन के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य में कृषको से धान खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में धान/खाद्यान्न/ बारदाना जिले के अंदर व जिले के बाहर परिवहन कार्य के लिए परिवहनकर्ताओं की नियुक्ति हेतु खरीफ विपणन वर्ष 2015–16 के लिए ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

1. इस निविदा दस्तावेज में निम्नानुसार परिशिष्ट संलग्न है :–
   - (I) परिशिष्ट '1' निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनाएं है।
   - (II) परिशिष्ट '2' निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण (भाग–क) तकनीकी लिफाफा हेतु।
   - (III) परिशिष्ट '3' धान/खाद्यान्न परिवहन हेतु निविदा दरे (भाग–ख) वित्तीय लिफाफा हेतु।
   - (IV) परिशिष्ट '4' निविदा कार द्वारा किये जाने वाले इकरारनामा का प्रारूप।
   - (V) परिशिष्ट '5' सत्यनिष्ठा संधि।
   - (VI) परिशिष्ट '6' ई–निविदा संबंधी दिशा–निर्देश एवं सूचनाएं।

   निविदाकार से अनुरोध है, कि इन दस्तावेजो को भली–भांति पढ़ने और समझने के बाद ही अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें परिवहन कार्य हेतु निर्धारित परिशिष्ट में साफ–साफ अकों एवं शब्दों में अंकित कर ऑनलाईन प्रस्तुत करें।

2. निविदाकार सें यह भी अनुरोध है कि ई–निविदा भरने के पश्चात् निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर भौतिक रूप से जमा करने हेतु नियत स्थान पर सील सहित हस्ताक्षर करें तथा आवश्यक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति संलग्न कर निविदा सूचना के प्रकाशन अनुसार भरे हुए निविदा फार्म संबंधित संग्रहण केन्द्र के जिला कार्यालय में निर्धारित तारीख को निर्धारित समय में प्रस्तुत किया जावें।
3. इस उद्बोधन सहित, निविदा आमंत्रण, निविदा निर्देश व मार्ग दर्शक सूचनाये, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्ते, निविदा दस्तावेज एवं उनमें संलग्न सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट आदि इस परिवहन निविदा की संविदा के अभिन्न अंग है और निविदाकार इनसे आबद्ध रहने के लिए बाध्य होगा।
4. निविदा में दरें अधिक प्राप्त होने पर निविदा के मात्र वैध प्रथम न्यूनतम दर वाले निविदाकार से निविदा दरों पर निगोशियेसन किया जा सकेगा। यदि उपरोक्त कार्यवाही के बाद भी निविदा में युक्तिसंगत दरें प्राप्त नही हुई, तो विपणन संघ अपनी ओर से वैध निविदाकारों को क्रास ऑफर देकर दरें स्वीकृत कर सकता हैं।
5. निविदाकर्ता निविदा के साथ ही वांछित दस्तावेज (परिशिष्ट –1 के अनुसार) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नही होने पर निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।
6. निविदाकार को निविदा प्रपत्र में परिचय एवं संक्षिप्त विवरण को पूर्ण रूपेण एवं फोटो संलग्न करते हुए भरा जाना अनिवार्य है। कृपया इसका विशेष ध्यान रखे। प्रत्येक जानकारी अपेक्षित विवरण के साथ पूर्ण भरा जावे।

   उक्तानुसार आपसे अनुरोध है कि संबंधित परिशिष्ट एवं दस्तावेजों का भली भांति अध्ययन कर विपणन संघ के वृहद् जनउपयोगी और व्यवसायिक कार्यो में सहभागिता के दृष्टिकोण से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें (कार्य योग्य दरे) प्रस्तुत करे।

   भ्ाुभकामनाओं सहित,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.
रायपुर

परिशिष्ठ – 1

निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें

निविदाकार, जिनके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के संबंधित जिला कार्यालय का धान/खाद्यान्न/बारदाना एवं अन्य सामग्री के परिवहन कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है, वे निम्नानुसार नियमों एवं शर्तों का भली–भांति अध्ययन कर लेवें। यह दिशा निर्देश तथा शर्तें निविदा स्वीकृति की स्थिति में निष्पादित की जाने वाली संविदा के भाग होंगे :–

1. निविदाकार द्वारा निविदा ऑनलाईन प्रस्तुत की जावेगी।

1.2 निविदा में भाग लेने वाले प्रत्येक परिवहनकर्ता को जिले के लिये निर्धारित अमानत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। बिना अमानत राशि के निविदा मान्य नही होगी।

1.3 निविदाकर्ता निविदा के परिशिष्ट–2 अनुसार अनिवार्य दस्तावेज की नोटरी से प्रमाणित प्रति स्केन कर ऑनलाईन संलग्न करें तथा ई–निविदा भरने के पश्चात् भौतिक रूप से संबंधित जिला कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय में प्रस्तुत करें। यह सभी दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न नहीं होने पर निविदाकार की निविदा अस्वीकार की जावेगी।

1. निर्धारित अमानत राशि का छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, (छ0ग0) के नाम से देय बैंक डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर प्रस्तुत करें।

2. रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ जिले के निविदाकार के पास स्वयं के कम से कम दस ट्रक तथा कोरबा, जशपुर, बलरामपुर, कोरिया, नारायणपुर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर जिले के निविदाकार के पास कम से कम तीन ट्रक एवं शेष अन्य जिले के निविदाकार के पास कम से कम पांच ट्रक के रजिस्ट्रेशन एवं फिटनेस संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि निविदाकार को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निविदा के साथ प्रत्येक जिले हेतु प्रस्तुत ट्रक संख्या एवं रजिस्ट्रेशन नं. पृथक–पृथक प्रस्तुत करना होगा। एक जिले हेतु प्रस्तुत ट्रक दूसरे जिले हेतु प्रस्तुत करना पाया जाता है, तो निविदा अमान्य की जावेगी।

3. भागीदार फर्म होने की स्थिति में भागीदार विलेख की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि। रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. परिवहनकर्ता को अनुभव हेतु विगत दो वर्षो में (प्रत्येक वित्तीय वर्ष अनुसार) शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अन्य संस्थाओं में निम्नानुसार राशि के कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है :–

क्र.	जिले का नाम	कार्यानुभव राशि
1	रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ	25 लाख
2	कांकेर, जगदलपुर, कवर्धा, मुंगेली, सुरजपुर, अंबिकापुर	5 लाख
3	कोरबा, जशपुर, बलरामपुर, कोरिया, नारायणपुर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर	2 लाख

5. परिवहन कार्य में नियोजित श्रमिकों हेतु आंबटित पी.एफ. कोड नं. एवं विगत दो वर्ष में जमा कराये गये पी.एफ. का प्रमाण–पत्र चालान।

6. निविदाकार यदि कम्पनी है तो, उसके पार्षद सीमा नियम, पार्षद अन्तर नियमों की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं निगमन का प्रमाण–पत्र। फर्म/कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र अथवा मुख्तयारनामा नोटरी द्वारा सत्यापित।
7. आयकर स्थायी लेखा संख्या प्रपत्र एवं विगत तीन वर्षों की आयकर विवरण की सत्यप्रतिलिपि।
8. बैंक स्टेटमेंट 01 04.2014 से 31.03.2015 एवं 01.04.2015 से 31.07.2015 तक का।
9. निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित इकरारनामा। (संलग्न निर्धारित प्रारूप में)

1.4 निविदाकार को निर्धारित प्रपत्र में ही अपनी निविदा निविदाकार के इकरारनामा के साथ प्रस्तुत करना होगा।

1.5 निविदाकार को निविदा फार्म भरने के पूर्व संबंधित जिले के उपार्जन केन्द्रों/भण्डारण केन्द्रों तक परिवहन करने के लिए आवागमन स्थान तथा स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में भली–भांति अवलोकन कर आश्वस्त हो लेना चाहिये, दर स्वीकृति उपरान्त उक्त आधारों पर स्वीकृति दर में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। निविदाकारों से अपेक्षा है कि निविदा भरने के पूर्व उपरोक्त जानकारी का भी भली–भांति अध्ययन कर लें।

1.6 निविदाकार स्वयं यह सत्यापित एवं सुनिश्चित करेगा कि उसने निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार का इकरारनामा एवं अन्य समस्त दस्तावेज प्राप्त कर लिया है। आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर लेने का पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का है।

1.7 निविदाकार से अपेक्षित है कि, वह संबंधित मार्ग का भी अध्ययन कर लें। यदि किसी कारणवश नियमित/प्रचलित मार्ग बंद रहता है तो परिवर्तित मार्ग से परिवहन किये जाने पर कोई अतिरिक्त चार्ज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

1.8 संग्रहण केन्द्र/जिला कार्यालय पर अपना सम्पर्क कार्यालय और कार्यरत प्रतिनिधि रखना होगा, जिसका नाम, पता, मोबाईल नंबर, प्रमाणित हस्ताक्षर एवं छायाचित्र अनुबंध के साथ प्रमाणित कर संबंधित जिला कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। निविदाकर्ता द्वारा नियोजित प्रत्येक श्रमिक/कर्मचारी को भुगतान करने की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी तथा उसके भविष्यनिधि उपादान अन्य समस्त वैधानिक दायित्वों आदि के भुगतान का दायित्व भी निविदाकर्ता का होगा।

1.9 निविदाकार द्वारा प्रस्तुत तकनीकी लिफाफा सही पाये जाने पर ही वित्तीय लिफाफा खोला जायेगा।

1.10 निविदा में प्रस्तुत अभिलेखों पर निविदाकर्ता को हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

1.11 समान्यतः सभी दूरी के उपार्जन केन्द्रों से धान का परिवहन शासन द्वारा निर्धारित नितियो के तहत जिला स्तर पर कलेक्टर के अनुमोदन अनुसार किया जावेगा, इस हेतु कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा।

2. <u>निविदा फार्म भरने के दिशा निर्देश</u> :–

2.1 दरें :– निविदा फार्म में दी जाने वाली दरें धान/खाद्यान्न एवं अन्य सामाग्रियों के परिवहन हेतु प्रति टन प्रति कि.मी. लोडिंग/अनलोडिंग सहित होगी, बारदाने परिवहन हेतु प्रति गठान प्रति किमी. दरें अंको तथा शब्दों दोनों में सुवाच्य, स्पष्ट एवं साफ–साफ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2.2 निविदा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक एवं समय निविदा फार्म में अंकित है। निविदा खोलते समय निविदाकर्ता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।

2.3 कोई भी निविदाकार एक से अधिक जिले का कार्य नही ले सकता है, जिले हेतु निर्धारित ट्रक होना अनिवार्य होगा। परिवहनकर्ता को संग्रहण केन्द्र के क्षमतानुसार उपार्जन केन्द्रो का धान परिवहन का निर्धारण संबंधित जिला विपणन अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

3. <u>अमानत राशि</u> :–

3.1 प्रत्येक जिले की प्रत्येक संग्रहण केन्द्र हेतु पृथक–पृथक निविदा के साथ निम्नानुसार पृथक–पृथक अमानत राशि के डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर संलग्न करना आवश्यक है, जो छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित ..... (जिला कार्यालय का नाम) के नाम से देय होगा।

क.	जिले का नाम	अमानत राशि प्रत्येक संग्रहण केन्द्र हेतु पृथक–पृथक (लाख रूप्ये में)
1	रायपुर	10.00
2	बलौदाबाजार	10.00
3	गरियाबंद	10.00
4	धमतरी	10.00
5	महासमुंद	10.00
6	दुर्ग	10.00
7	बालोद	10.00
8	बेमेतरा	10.00
9	राजनांदगांव	10.00
10	कबीरधाम (कवर्धा)	5.00
11	बिलासपुर	10.00
12	मुंगेली	5.00
13	कोरबा	0.50
14	जांजगीर	10.00
15	रायगढ़	10.00
16	जशपुर	0.50
17	अंबिकापुर	10.00
18	सूरजपुर	5.00
19	बलरामपुर	0.50
20	कोरिया	0.50
21	कांकेर	10.00
22	जगदलपुर	10.00
23	नारायणपुर	0.50
24	कोण्डागांव	0.50
25	दंतेवाड़ा	2.00
26	सुकमा	0.50
27	बीजापुर	0.50

उपरोक्त राशि का अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संबंधित जिला कार्यालय के निविदा के साथ दर्शायी राशि के अनुसार संलग्न करना अनिवार्य है।

3.2 पूर्व कण्डिका (1.3) के अनुसार बिना वांछित दस्तावेज के प्रस्तुत निविदा को अमान्य माना जाएगा।

3.3 निविदाकार द्वारा निविदा स्वीकृति होने के पश्चात् वांछित अभिलेख एवं निर्धारित सुरक्षानिधि जमा करने में असफल होने की स्थिति में अमानत राशि विपणन संघ के हित में जप्त कर ली जावेगी। ऐसी जप्ती की सूचना विपणन संघ को पृथक से निविदाकार को देना आवश्यक नहीं होगा।

3.4 असफल निविदाकार की जमा अमानत रा ि ा दर स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण होने पर वापस कर दी जावेगी। इस अवधि का कोई भी ब्याज विपणन संघ द्वारा देय नही होगा।

3.5 सफल निविदाकार द्वारा निविदा के साथ जमा अमानत राशि उसके द्वारा संबंधित उपार्जन केन्द्र/संग्रहण केन्द का अनुबंध न करने के फलस्वरूप जप्त होती है तो ऐसे निविदाकार विपणन संघ की किसी भी इकाई के निविदा में 3 वर्ष के लिए भाग नहीं ले सकेगें।

3.6 विगत वर्ष में शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य संस्थानों में परिवहन कार्य से प्रतिबंधित किये गये एवं परिवहन कार्य को पूर्ण नही करने के कारण उनकी जगह यदि अन्य परिवहनकर्ता से कार्य पूर्ण कराया गया हो तथा काली सूची में दर्ज परिवहनकर्ता निविदा में भाग नही ले सकेगें। इसी तरह विपणन संघ के बकायादार परिवहनकर्ता निविदा में भाग नहीं ले सकेगें, किन्तु बकायादार परिवहनकर्ता द्वारा विपणन संघ की बकाया राशि मय ब्याज के राशि जमा करने के पश्चात् निविदा में भाग ले सकेगे।

4. निविदा फार्म पर हस्ताक्षर :–

निविदा फार्म पर हस्ताक्षर कर रहा/कर रहे व्यक्तियों के लिए यह प्रमाणित करना अनिवार्य है कि, वे किस हैसियत से निविदा फार्म पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। फर्म के भागीदार फर्म होने की स्थिति में निविदा फार्म में समस्त भागीदारों के नाम का उल्लेख किया जाना है एवं निविदा पर समस्त भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किये जावेगें अथवा सभी भागीदारों द्वारा संबंधित भागीदार के पक्ष में जारी अधिकार पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि निविदाकार एक कम्पनी है तो उसके संचालक मंडल द्वारा पारित संकल्प की सत्यप्रतिलिपि के साथ हस्ताक्षर करने वाले संचालक के पक्ष में अधिकार पत्र जिस हैसियत से निविदाकार निविदा में हस्ताक्षर कर रहा हो उसका प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5. निविदा निष्पादित करना :–

5.1 विपणन संघ के इकाई द्वारा जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जावेगी उसे विपणन संघ की ओर से सूचना मिलने पर तीन दिन (अधिकतम एक सप्ताह) की अवधि में निर्धारित प्रतिभूति राशि जमा कर विपणन संघ द्वारा निर्धारित संविदा प्रपत्र में रु. 50.00 (पचास रूपये) के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर वांछित कागजात के साथ विपणन संघ के जिला कार्यालय में इकरारनामा निष्पादित करना अनिवार्य होगा। इसका निर्धारित प्रारूप संबंधित जिला कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

अ. फर्म/कंपनी के पंजीयन फर्म की सत्यप्रतिलिपि।

ब. आयकर रिर्टन जमा करने की सत्यप्रतिलिपि।

स. पी.एफ. का कोड नंबर।

द. फर्म/कंपनी संरचना विलेख।

इ. परिवहनकर्ता द्वारा निर्धारित कार्य के लिए नियोजित/प्राधिकृत श्रमिकों/कर्मचारियों के नाम एवं पते की सूची जिला विपणन अधिकारी को सौंपेगा।

5.2 <u>सुरक्षानिधि</u> :–

1. सफल निविदाकार को संबंधित जिले के प्रत्येक संग्रहण केन्द्र के लिये निम्नानुसार सुरक्षानिधि अमानत राशि के अतिरिक्त देनी होगी। सुरक्षानिधि किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. दिनांक 30.10.2016 तक की वैधता अवधि के लिए प्रस्तुत करनी होगी।

क्र.	जिले का नाम	सुरक्षा निधी की राशि प्रत्येक संग्रहण केन्द्र हेतु (लाख रूपये में)
1	रायपुर	10.00
2	बलौदाबाजार	10.00
3	गरियाबंद	5.00
4	धमतरी	10.00
5	महासमुंद	10.00
6	दुर्ग	10.00
7	बालोद	10.00
8	बेमेतरा	5.00
9	राजनांदगांव	10.00
10	कबीरधाम (कवर्धा)	5.00
11	बिलासपुर	10.00
12	मुंगेली	5.00
13	कोरबा	5.00
14	जांजगीर	10.00
15	रायगढ़	10.00
16	जशपुर	1.00
17	अंबिकापुर	7.00
18	सूरजपुर	5.00
19	बलरामपुर	1.00
20	कोरिया	1.00
21	कांकेर	10.00
22	जगदलपुर	10.00
23	नारायणपुर	1.00
24	कोण्डागांव	1.00
25	दंतेवाड़ा	2.00
26	सुकमा	1.00
27	बीजापुर	1.00

5.3 सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृति के पश्चात एक सप्ताह के भीतर इकरारनामा रुपये 50 (पचास रूपये) के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर वांछित अभिलेख एवं सुरक्षानिधि के साथ संपादित करना अनिवार्य होगा और ऐसा न करने पर अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी।

6. विविध :–

6.1 निविदाकार द्वारा प्रस्तुत निविदा दरों में व्यवहारिक स्लेब (वर्केबल लीड) यथा 0–8 किमी,0–25 किमी, 0–50 किमी, 0–75 किमी, तथा 0–100 में अधिकतम लीड में न्यूनतम दर को आधार मानकर एल–1 निर्धारित किया जावेगा। एल–1 निविदाकार को निविदा में अन्य दूरियों हेतु निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर पर कार्य करने की सहमति देने पर उक्त स्लेब का कार्य भी दिया जावेगा अन्यथा अन्य स्लेब के कार्य हेतु न्यूनतम दर वाले संबंधित निविदाकार की दर स्वीकृत की जावेगी, यदि निविदा में किन्ही दो निविदाकार की दर बराबर–बराबर स्लेब में आती है तो ऐसी स्थिति में प्रथम चार स्लेब में न्यूनतम दर वाले निविदाकार को एल–1 माना जावेगा एवं यदि 2 से अधिक निविदाकार की दर बराबर–बराबर आती है, तो ऐसी दशा में जिले की कार्यशील दूरी की दरें ही एल–1 मानकर दर निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी।

6.2 विपणन संघ द्वारा स्वीकृत निविदाकार के साथ अनुबंध रहते हुए भी अनुबंधित कार्य हेतु विभागीय रूप से भी कार्य करने पर विचार किया जा सकता है तथा निविदाकार द्वारा स्वीकृत दरों पर संतोषप्रद परिवहन कार्य नहीं करता है तो विपणन संघ के इकाईयों को यह अधिकार होगा कि वे बाजार में उपलब्ध दरों पर अन्य परिवहनकर्ता से कार्य करा लें तथा इस पर अधिक भुगतान की गई राशि निविदाकार के प्रतिभूति राशि एवं देयकों से काट ली जावे।

6.3 विपणन संघ द्वारा स्वीकृत निविदाकार के साथ अनुबंध रहते हुये भी जिला विपणन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि जिले में परिवहन कार्य को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृत न्यूनतम दरों पर किसी भी परिवहनकर्ता से परिवहन का कार्य किसी संग्रहण केन्द्र में कराया जा सकता है, इसमें अनुबंधित निविदाकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

6.4 जिले में परिवहन कार्य दृष्टिगत रखते हुए जिला विपणन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि उपार्जन केन्द्रों का समूह बनाकर स्वीकृत परिवहन दर पर किसी भी परिवहनकर्ता से कार्य कराया जा सकता है। जिसके लिए संबंधित परिवहनकर्ता को निर्धारित प्रतिभूति जमा करा कर निर्धारित प्रारुप में अनुबंध की अनिवार्यता होगी।

6.5 किसी भी निविदा को आंि ाक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार जिले के कलेक्टर/प्रबंध संचालक छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को होगा।

6.6 निविदाकार को निविदा में कोई शर्त सम्मिलित नहीं करनी है, क्योंकि सशर्त निविदा विचार योग्य नहीं होगा। एक बार निविदा खोलने के पश्चात् निविदाकार के द्वारा दर संबंधी प्रस्तुत की जाने वाली किसी भी आवेदन पर विचार मान्य नहीं होगा।

6.7 निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित निविदा प्रस्तुत करने का यह अभिप्राय माना जावेगा कि निविदाकार ने निविदा की सभी शर्तों एवं कार्य पद्धति कार्य की महत्ता आदि समझ ली है और उन्हें स्वीकार कर लिया है।

6.8 निविदाकार द्वारा परिवहन हेतु दरें लोडिंग/अनलोडिंग सहित शामिल कर प्रस्तुत की जाये। निविदा पर विचार कुल दर पर किया जाएगा न कि, परिवहन और लोडिंग/अनलोडिंग की पृथक–पृथक दर पर।

निविदा की तिथि में लागू सभी प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर शामिल होगें। आयकर एवं अन्य करों की स्त्रोत पर कटौती प्रचलित नियमानुसार की जाएगी। यदि सफल निविदाकार द्वारा किसी भी प्रकार के करों अथवा अन्य वैधानिक उत्तरदायित्वों के भुगतान में अथवा पालन में लापरवाही बरती जाती है तो विपणन संघ को अधिकार होगा कि ऐसे सभी उत्तरदायित्वों को पेटे भुगतान की गई राशि की सफल निविदाकार से किसी भी प्रकार की देय राशि से वसूल कर लें।

6.9 भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय द्वारा प्रचलित सभी वैधानिक कर परिवहनकर्ता द्वारा देय होगा। आ ाय यह है कि निविदा दरों में उपरोक्त सभी प्रकार का कर शुल्क शामिल है।

6.10 निविदाकार द्वारा पूर्व में जमा की गयी अमानत राशि अथवा किसी प्रकार की राशि वर्तमान निविदा के लिए मान्य नहीं होगी तथा जमा की गई अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जावेगा।

6.11 इकरारनामा निष्पादित करते समय सफल निविदाकर्ता को सुरक्षानिधि के रूप में निर्धारित राशि निर्धारित प्रारूप में बैंक गारंटी अथवा एफ.डी.आर. संबंधित जिले के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा, जिस पर विपणन संघ द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।

6.12 सफल निविदाकार को संग्रहण केन्द्र से सम्बद्ध उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी की सतत जानकारी सीधे खरीदी केन्द्र से लेकर धान परिवहन के कार्य को समय सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा, अन्यथा परिवहन के अभाव में होने वाली क्षति की वसूली संबंधित परिवहनकर्ता से की जावेगी।

6.13 जिला विपणन अधिकारी द्वारा ऑनलाईन निविदाओं को जिला स्तरीय समिति के समक्ष खोला जावेगा।

6.14 सफल निविदाकार को अनुबंध संबंधित परिवहन इत्यादि कार्य करने पर प्रत्येक सप्ताह में अपना बिल संबंधित जिला विपणन अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

6.15 परिवहनकर्ता के पास स्वयं का जिले में निर्धारित संख्या अनुसार ट्रक होना अनिवार्य है। इससे अधिक स्वयं की ट्रकों की जानकारी भी निविदा में दें। इसके अतिरिक्त जो ट्रकें उनसे संबद्ध होंगें उनकी सूची इकाई प्रमुख अथवा जिला विपणन अधिकारी जिसके क्षेत्र में कार्य किया जाना है उसे लिखित में अनुबंध के समय प्रस्तुत करना होगा तथा उन्हीं ट्रको से परिवहन कार्य कराया जावेगा।

7. संविदा की अवधि

7.1 जिस परिवहनकर्ता की निविदा स्वीकृत की जाती है, उसे स्वीकृत दरों पर खरीफ विपणन वर्ष 2015–16 के लिये परिवहन करने के लिये अनुबंध करना होगा।

7.2 निविदा 01 नवम्बर 2015 से 30.10.2016 तक वैध रहेगी। निष्पादित किये गये निर्धारित अनुबंध की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि विपणन संघ चाहे तो उसी स्वीकृत दर पर कार्य कराने हेतु तीन–तीन माह के खंड में अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए वृद्धि की जा सकेगी, जो परिवहनकर्ता को मान्य होगी।

8. कार्मिक एवं वैधानिक उत्तरदायित्व :–

8.1 धान/खाद्यान्न उतराई छल्ली लगाने के लिए क्रमशः उतराई करने वाले, तौलाई करने वाले एवं छल्ली लगाने वाले श्रमिकों/कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का होगा।

8.2 यह आवश्यक होगा कि अनुबंध करने के पूर्व सफल निविदाकार अथवा उनके द्वारा नियुक्त श्रमिक ठेकेदार को प्रचलित सभी अधिनियमों के अधीन अनुज्ञप्ति पत्र लेकर संबंधित जिला कार्यालय में देना होगा, कार्य समाप्त होने पर सफल निविदाकार को संबंधित जिले में कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम के अंतर्गत नो–ड्यूस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उसके उपरान्त ही अमानत राशि का भुगतान हो पायेगा। यदि कार्य समाप्ति के एक माह के भीतर सफल निविदाकार द्वारा उपरोक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अमानत राशि की बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. राजसात की जायेगी।

8.3 समस्त श्रम अधिनियमों के अधीन परिवहनकर्ता समस्त आवश्यक अभिलेख संधारित करेगा एवं आवश्यक प्रपत्र/विवरण संबंधित अधिकारियों को समय पर प्रस्तुत करेगा और प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप उद्भूत हुए समस्त दायित्वों के लिए परिवहनकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा।

8.4 समस्त श्रम अधिनियमों के अधीन परिवहनकर्ता का दायित्व होगा कि, वह उसके द्वारा नियोजित समस्त श्रमिकों/कर्मचारियों के लिए नियमानुसार आवश्यक समस्त सुविधाएं हित लाभ एवं व्यवस्था उपलब्ध करावें। इस संबंध में विपणन संघ का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

8.5 परिवहनकर्ता उसके द्वारा नियोजित समस्त श्रमिकों/कर्मचारियों के नाम, पता एवं फोटो विपणन संघ के जिला विपणन अधिकारी को अनुबंध के साथ कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्रस्तुत करें। यदि उसमें कोई परिवर्तन होता है, तो वह तत्काल जिला विपणन अधिकारी को सूचित करेगा एवं उनके द्वारा किये गये कार्य एवं व्यवहार के लिए वह उत्तरदायी माना जावेगा।

8.6 परिवहन कार्य के दौरान घटित किसी दुर्घटना का उत्तरदायित्व स्वयं निविदाकर्ता का होगा। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 अथवा कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम 1952 के अधीन समस्त राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता पर होगा।

8.7 यदि परिवहनकर्ता अथवा उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारी अथवा ठेकेदार द्वारा किये गये किसी कृत्य की कोई जवाबदारी अथवा कोई भार विपणन संघ को वहन करना पड़ता है तो उस राशि को परिवहनकर्ता की जमा प्रतिभूति राशि में से अथवा उसके बिलों में से वसूल किया जायेगा।

8.8 परिवहन के दौरान आने वाले नाकों, पुलों आदि पर टोल टैक्स व अन्य शुल्क प्रभार तथा प्रचलित देय कर को परिवहनकर्ता को स्वयं वहन करना होगा, विपणन संघ द्वारा उनका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। आशय यह है कि स्वीकृत दर के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान देय नहीं होगा।

8.9 संबंधित जिला कलेक्टर एवं प्रबंध संचालक द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था के तहत परिवहन कार्य में गति लाने हेतु जो भी निर्देश समय–समय पर दिये जाते है इसका पालन करना अनिवार्य होगा।

9. विवादों का निराकरण –

9.1 इस निविदा से संबंधित तथा अनुबंध से संबंधित किसी भी विषय, शर्त एवं किसी भी शर्त की व्याख्या आदि से संबंधित, इस अनुबंध के पूर्व इस अनुबंध एवं निविदा के पालन में समय अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न हुए किसी भी विवाद को किसी पक्ष द्वारा एक मात्र आर्बीट्रेटर को उस विवाद के निराकरण के लिये संदर्भित किया जावेगा। यह आर्बीट्रेटर प्रबंध संचालक विपणन संघ या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधी होगें और उनके द्वारा दिया गया निर्णय/एवार्ड दोनों पक्षों को बंधनकारी एवं मान्य होगा।

9.2 आर्बीट्रेशन द्वारा विवादों को निपटाने के लिये की गई कार्यवाही, आर्बीट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 (नं. 26 ऑफ 1996) के अंतर्गत होगी और ऐसे समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र रायपुर न्यायालय होगा।

10. व्यवहार एवं आचरण –

परिवहनकर्ता एवं उसके द्वारा नियोजित समस्त कर्मचारी/श्रमिक विपणन संघ के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से सौहार्द्रपूर्ण तरीके से सामजस्य स्थापित करते हुए परिवहन कार्यो के सुचारू रूप से संपादन में भी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगें। परिवहनकर्ता की अथवा उसके कर्मचारियों की अथवा उसके कर्मचारियों /अधिकारियों की विपणन संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों से झगड़ालु दबाव की मनोवृत्ति/प्रवृत्ति अथवा अभद्र अशोभनीय व्यवहार प्रदर्शित होने पर विपणन संघ के जिला विपणन अधिकारी/संबंधित अधिकारी की रिपार्ट पर विपणन संघ के प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वे उसके अनुबंध को तत्काल समाप्त कर दे एवं उसके इस प्रकार की कृत्यों के लिये आगामी निविदाओं में उस कार्य विशेष के लिये किसी भी हैसियत से भाग लेने से वंचित कर दे एवं अन्य क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर वसूली निर्धारित करे।

11. दण्ड :–

सफल निविदाकार द्वारा निविदा शर्तो का सही ढ़ग से पालन नहीं करने एवं अनुबंध शर्तो के उल्लंघन करने पर निविदाकार को विपणन संघ द्वारा काली सूची में आगामी दो वर्षो के लिये दर्ज किया जावेगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर

परिशिष्ठ–2

भाग – ''क''

(तकनीकी लिफाफा हेतु)

निविदाकर्ता का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण

प्रति,

जिला विपणन अधिकारी,
.....छ.ग.

महोदय,

1. हमारा/मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

1. निविदाकार का पूरा नाम व पता .....
.....
.....

2. दूरभाष क्रमांक कार्यालय निवास .....
.....

3. निविदाकार की फर्म का स्वरूप .....
(फर्म/कंपनी/स्वामित्व/हिन्दू अविभाजित परिवार)

4. मुखिया (कर्ता) का नाम व पता .....
.....

5. यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदारों .....
के नाम/पते (भागीदारी विलेख की प्रमाणित .....
प्रति संलग्न करें)

6. फर्म की स्थापना, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक .....
(सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें)

7. क. आयकर विवरणी की सत्यप्रति संलग्न करें .....
ख. आयकर स्थाई लेखा संख्या(पेनकार्ड) ..... (प्रतिलिपि भी संलग्न करें)

8. बैंकर का नाम शाखा सहित .....
(खाता क्रमांक लिखे)

9. स्वयं/फर्म/कंपनी के नाम कितने भारी .....
माल वाहन
(पंजीयन एवं फिटनेस की सत्यप्रतिलिपि वाहन का पंजीयन क्रमांक.....
संलग्न करें)

10. शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य संस्था में विगत
दो वर्षो के परिवहन कार्य का अनुभव .....

11. वर्तमान में किस शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य.....
संस्था में परिवहन कार्य कर रहें, विवरण दें .....

12. विगत वर्ष में शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य .....
संस्था द्वारा परिवहन कार्य से प्रतिबंधित/परिवहन .....
कार्य को पूर्ण नही करने एवं काली सूची में दर्ज .....
किया गया है अथवा नही (हां/नही) में लिखें।

13. निर्धारित जमा की गई अमानत राशि का विवरण .....
रूपये कुल.....
बैंक ड्राफ्ट नंबर.....
बैंक का नाम.....

14. इस वित्तीय वर्ष के लिए विपणन संघ की अगर किसी अन्य निविदा में भाग लिया हो तो उसका विवरण .....
.....

15. पूर्व वर्षों में अगर विपणन संघ का कोई कार्य किया गया हो तो उसका विवरण .....
.....

16. परिवहन कार्य में नियोजित श्रमिकों हेतु आवंटित पी.एफ. कोड नं. .....
एवं गतवर्ष जमा कराये गये पी.एफ. का प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

17. मेरी/हमारी गत वर्ष में अमानत/प्रतिभूति राशि विपणन संघ के परिवहन निविदा अंतर्गत राजसात की गई है (हां तो विवरण दें) .....
.....

18. बैंक स्टेटमेंट 01 अप्रैल 2014 से 31.03.2015 एवं 01.04.2015 से 31.07.2015 .....

19. संलग्न हस्ताक्षरित इकरारनामा

20. इस दस्तावेज के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

2. हमारी/मेरी निविदा फार्म में उल्लेखित की गई निविदा परिशिष्ट एक की कंडिका 7 में वर्णित स्थिति अनुसार वैध रहेगी, जिसे मानने के लिए हम/मैं बाध्य रहेगें/रहूँगा/ रहूँगीं।

3. यदि विपणन संघ द्वारा हमें/मुझे धान/खाद्यान्न/बारदाना परिवहन कार्य सौंपा जाता है तो हम/मैं निर्धारित अवधि में नियमानुसार प्रतिभूति राशि एवं बैंक गारंटी जमा करके अनुबंध करने के लिये सहमत हैं/हूँ।

4. हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं/करता हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियां मेरे विश्वास एवं ज्ञान में सही है।

दिनांक .....

स्थान .....

हस्ताक्षर .....
नाम .....
.....
फर्म का नाम .....
पूरा पता .....
हैसियत .....
मुहर .....

नोट :– इसमें अपेक्षित विवरण स्पष्ट रूप से भरे एवं संपूर्ण कॉलम में प्रविष्टि अतिआवश्यक है, अन्यथा अपेक्षित विवरण के अभाव में निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

सरल कमांक.....

भाग – ''ख''

(वित्तीय लिफाफा हेतु)

धान/खाद्यान्न/बारदाना एवं अन्य सामग्री परिवहन कार्य निविदा फार्म खरीफ विपणन वर्ष 2015–16

1. कार्यालय का नाम जिसके लिए निविदा दिया जा रहा है। .....
2. जिले का नाम जिसके लिए निविदा भरी जा रही है। .....
3. परिवहनकर्ता का नाम, पूरा पता ..... ई–मेल, दूरभाष नंबर .....
4. अमानत राशि का विवरण राशि .....
   ड्राफ्ट नंबर.....
   दिनांक .....
   बैंक का नाम.....
5. उपरोक्त परिवहनकर्ता परिवहन टेंडर के संदर्भ में मेरे/हमारे द्वारा परिवहन हेतु निम्नानुसार दरें दी जाती हैं। दरें धान/खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री के परिवहन (लोडिंग/ अनलोडिंग सहित) हेतु प्रति टन प्रति कि.मी. एवं बारदाने हेतु प्रति गठान प्रति कि.मी. होगी।
6. उपरोक्त दर आपकी निविदा शर्तों की समस्त कंडिकाओं को मान्य करते हुए दी गई है। कार्यादेश प्राप्त होते ही तीव्रता से परिवहन कर सकूंगा एवं आवश्यकतानुसार बाहर से भी ट्रकें उपलब्ध कराकर कार्य समय–सीमा में संपन्न कर सकूंगा। यदि कार्य लिखित एवं मौखिक की सूचना मिलने पर समय सीमा के भीतर परिवहन का कार्य नहीं करता हूँ तो विपणन संघ नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। जिसमें आने वाले अतिरिक्त व्यय के लिये मैं स्वतः जवाबदार रहूँगा।
7. उपरोक्त निविदा के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो प्रबंध संचालक विपणन संघ या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

हस्ताक्षर

(निविदाकार)

संलग्न .....
दिनांक.....
स्थान.....

सील

निविदाकार का परिचय, संक्षिप्त विवरण एवं वित्तीय दर ई–निविदा के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत करें

प्रेषक,

..... (परिवहनकर्ता का नाम)
..... (पूर्ण पता)

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,
रायपुर

प्रिय महोदय,

1. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा वांछित उपार्जन केन्द्र से धान/खाद्यान्न/बारदाना एवं अन्य सामग्री परिवहन के कार्य हेतु प्रकाशित निविदा सूचना को पढ़कर हमने/मैंने जिला कार्यालय में निर्धारित राशि जमा कर निर्धारित फार्म को हमने/ मैंने निविदा के आमंत्रण में दिये गये निर्देशों/निविदा/संविदा शर्तों, नियमों तथा इसके परिशिष्ट में दिये गये विवरण को भली भांति पढ़ लिया है, उनको समझ लिया है तथा हम/ मैं उनके पालन के लिए सहमत हैं/हूँ।
2. हम जिला ..... में जिला विपणन अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा बताये गये अनुसार अन्य स्थलों पर परिवहन कार्य निम्नानुसार लोडिंग/अनलोडिंग सहित परिवहन दरों में करना स्वीकार करते हैं/करता हूँ।

जिले का नाम .....

परिवहन की दरें (लोडिंग/अनलोडिंग सहित) :–

सेवा कार्य का विवरण			
क्र.	दूरी कि.मी. में प्रति टन प्रति कि.मी.	धान/खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री परिवहन दर (लोडिंग/ अनलोडिंग सहित) प्रति टन प्रति कि.मी.	जूट बारदाना गठान परिवहन प्रति गठान प्रति कि.मी. (लोडिंग/ अनलोडिंग सहित)
1	0 से 10 कि.मी.		
2	0 से 25 कि.मी.		
3	0 से 50 कि.मी.		
4	0 से 75 कि.मी.		
5	0 से 100 कि.मी.		
6	0 से 200 कि.मी.		
7	0 से 300 कि.मी.		
8	0 से 400 कि.मी.		
9	400 से अधिक कि.मी.		

उपरोक्त दरों में लोडिंग/अनलोडिंग की राशि सम्मिलित है।

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील

परिशिष्ठ – 4

इकरारनामा

यह इकरारनामा दिनांक..... को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की शीर्ष सहकारी संस्था है, जिसका मुख्यालय सिविल लाईन्स, रायपुर में है, जिसे आगे विपणन संघ के नाम से संबोधित किया है, कि ओर से पक्ष 01 जिला विपणन अधिकारी.....अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर तथा पक्ष 02 मेसर्स.....की ओर से श्री..... वल्द..... जिला.....के निवासी है, जिसे की आगे परिवहनकर्ता के नाम से संबोधित किया गया है, के बीच निष्पादित किया गया है।

यह कि, परिवहनकर्ता द्वारा विपणन संघ के जिला ..... से वर्ष 2015–16 में दिनांक 01.11.2015 से दिनांक 30.10.2016 तक की अवधि को मेसर्स ..... जिला विपणन अधिकारी ..... के इकरारनामा में दर्शायी गयी दरों एवं शर्तों पर स्वीकार किया गया हैं।

यह कि परिवहनकर्ता द्वारा विपणन संघ के संग्रहण केन्द्र/उपार्जन केन्द्र/जिले के अंदर बाहर तक पहुंचाने का कार्य हेतु निम्नानुसार दर्शायी गयी दरों पर किया जावेगा और मैं/हम यह कार्य विपणन संघ की शर्तों पर करने के लिए पक्ष 02 पूर्ण सहमत है।

सेवा कार्य का विवरण			
क.	दूरी कि.मी. में प्रति टन प्रति कि.मी.	धान/खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री परिवहन दर (लोडिंग/अनलोडिंग सहित) प्रति टन प्रति कि.मी.	जूट बारदाना गठान परिवहन प्रति गठान प्रति कि.मी. (लोडिंग/ अनलोडिंग सहित)
1	0 से 10 कि.मी.		
2	0 से 25 कि.मी.		
3	0 से 50 कि.मी.		
4	0 से 75 कि.मी.		
5	0 से 100 कि.मी.		
6	0 से 200 कि.मी.		
7	0 से 300 कि.मी.		
8	0 से 400 कि.मी.		
9	400 से अधिक कि.मी.		

उपरोक्त दरों में लोडिंग/अनलोडिंग की राशि सम्मिलित है।

1. इस इकरारनामा के साथ अनुसूचित बैंक ..... (बैंक का नाम) शाखा..... से राशि रूपये.....की बैंक गारंटी/एफ.डी.आर.क्रमांक.....दिनांक.....संलग्न है और पक्ष 02 को यह ज्ञात हो कि इस पर कोई ब्याज देय नहीं है।

2. पक्ष 02 को संघ जिला कार्यालय/इकाई या उसके द्वारा अधिकृत कर्मचारी की मौखिक या लिखित सूचना प्राप्त होने पर 24 घण्टे के भीतर धान/खाद्यान्न का परिवहन संबंधित संग्रहण केन्द्रों/उपार्जन केन्द्रों से करनी होगी। इसके लिए आवश्यकतानुसार ट्रक मजदूर हमाल की व्यवस्था परिवहनकर्ता की होगी। परिवहन में हुए विलंब के कारण होने वाले डेमेज/नुकसान की संपूर्ण जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी। समय पर ट्रक एवं मजदूर नहीं लगने पर पक्ष 01 को अधिकार होगा कि बाजार से ट्रक मजदूर का कार्य किसी भी दर पर कार्य करा लेवें। यदि स्वीकृत से अधिक दर पर भुगतान करना पड़ता है तो अधिक दर के कारण हुई हानि (क्षति) की भरपाई पक्ष 02 तीन दिवस के अंदर नगद जमा करेगा, अन्यथा पक्ष 01 को अधिकार होगा कि, वह परिवहनकर्ता के परिवहन बिलों से कटौती करें अथवा उसकी जमा अमानत की राशि से इस राशि को वसूल करें।

3. ट्रक के साथ खाद्यान्न के लिए आवश्यक संख्या में हमालों एवं मजदूरों के प्रावधान (व्यवस्था) करने की जिम्मेदारी पक्ष 02 की होगी, हमालों का भुगतान पक्ष 02 द्वारा किया जायेगा। पक्ष 01 किसी भी प्रकार का हमाली भुगतान नहीं करेगा।

4. यदि पक्ष 02 के द्वारा ट्रक में परिवहन के लिए लोड किया गया पक्ष 01 का स्कंध निर्धारित समय के अंदर गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचाया जाता है या सही हालत में नहीं पहुंचता है, अथवा अन्य प्रकार की हानि होती है तो वह हानि पक्ष 02 द्वारा पक्ष 01 को तीन दिवस के अंदर देय होगी। पक्ष 01 को यह अधिकार होगा कि वह हानि की राशि की वसूली अमानत राशि/सुरक्षानिधि की राशि में से अथवा पक्ष 02 के लंबित बिलों से विधि अनुसार की जावेगी।

5. पक्ष 01 द्वारा पक्ष 02 को प्रदत्त स्कंध पक्ष 01 द्वारा निर्धारित स्थान एवं अधिकृत प्रतिनिधि को ही पक्ष 02 द्वारा देना होगा और सील व हस्ताक्षर सहित पावती लेनी होगी।

7. पक्ष 02 के द्वारा संग्रहण केन्द्र से स्कंध उसके ट्रक से लोड कर दिये जाने के पश्चात् मार्ग में कहीं भी उतारा नहीं जावेगा। स्कंध की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी पक्ष कमांक 02 पर होगी।

8. परिवहन के दौरान किसी भी कमी या क्षति हेतु पक्ष 02 ही उत्तरदायी होगा। पक्ष कमांक 01 द्वारा पक्ष कमांक 02 को सुनवाई का अवसर देकर कमी एवं क्षति की वसूली उसकी अमानत राशि अथवा भुगतान योग्य शेष राशि से वसूल कर सकेगा।

9. ढुलायी के लिए लगाये गये ट्रक सभी प्रकार से मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार सही हालत में होना चाहिए। उसकी बीमा होना चाहिए और ट्रक पब्लिक कैरियर लाईसेन्स होना एवं रोड टैक्स, गुड्स टैक्स, टोल टैक्स इत्यादि पटाये जाने की जिम्मेदारी पक्ष 02 की होगी। यदि मोटर व्हीकल एक्ट की परिवहन अथवा मोटर संबंधित किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन होता है तो ट्रक परिवहनकर्ता मालिक एवं ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी, साथ ही स्कंध के लोड के लिए माल की हानि होती है या उसके गन्तव्य स्थान तक पहुंचने में विलंब होता है, तो उसकी जिम्मेदारी पक्ष 02 की होगी।

10. परिवहन कर्त्ता को उपार्जन केन्द्र से भंडारण केन्द्र तक का दूरी प्रमाण पत्र लोक निर्माण विभाग से प्राप्त कर जिला विपणन अधिकारी को प्रस्तुत करने के उपरांत ही परिवहन देयक का भुगतान किया जावेगा।

11. पक्ष 02 को परिवहन बिल प्रति सप्ताह प्रस्तुत करना होगा। स्कंध डिलेव्हरी देने के प्रमाण के रूप में जो केन्द्र जहां माल भेजा गया हो, पर नियुक्त पक्ष 01 के अधिकृत अभिकर्ता गोदाम कीपर या कोई अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया प्रमाण पावती ही बिल के साथ संलग्न करके देना होगा। जो पक्ष 02 स्कंध गन्तव्य स्थान पहुंचा देने के पश्चात् वहां के कोई अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर कराकर लावेगा। इस डिलेव्हरी मेमो पर स्कंध सुरक्षित हालत में डिलेव्हरी कर देने का प्रमाण भी अंकित किया जावेगा, यह पावती प्राप्ति की जिम्मेदारी पक्ष 02 की होगी। भुगतान पक्ष 01 से संबंधित जिला कार्यालय द्वारा बिल प्रस्तुती पर परीक्षण कर किया जाएगा।

12. पक्ष 02 को सौंपे गये स्कंध का परिवहन न्यूनतम दूरी वाले मार्ग से ही करेगा, अत्यावश्यक परिस्थिति में स्कंध का परिवहन अन्य मार्ग से वह तभी कर सकता है, जबकि इस हेतु उसने पक्ष 01 से लिखित अनुमति प्राप्त कर ली हो।

13. यह इकरारनामा दिनांक 30.10.2016 तक वैध होगा। इस अवधि में कार्य नहीं होता अथवा नये निविदा नहीं होता, तो वर्तमान इकरारनामा की अवधि का तीन–तीन माह के खंड में अधिकतम एवं 1 वर्ष हेतु बढ़ाई जा सकती है जिसके लिये परिवहनकर्ता बाध्य होगा।

14. पक्ष 02 अमानत राशि के अतिरिक्त इस इकरारनामा के साथ निर्धारित सुरक्षानिधि जमा कर रहा है।

15. परिवहनकर्ता द्वारा जो ट्रक परिवहन कार्य में लगाये जावेगें उसकी सूची उसी दिन जिला विपणन अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रेषित करेगा।

16. इस निविदा से संबंधित तथा अनुबंध से संबंधित किसी भी विषय, शर्त एवं किसी भी शर्त की व्याख्या आदि से संबंधित, इस अनुबंध के पूर्व इस अनुबंध एवं निविदा के पालन में समय अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न हुए किसी भी विवाद को किसी पक्ष द्वारा एक मात्र आर्बीट्रेटर को उस विवाद के निराकरण के लिये संदर्भित किया जावेगा। यह आर्बीट्रेटर प्रबंध संचालक विपणन संघ होंगे और उनके द्वारा दिया गया निर्णय/एवार्ड दोनों पक्षों को बंधनकारी एवं मान्य होगा।

17. धान/खाद्यान्न परिवहन हेतु निविदा प्रपत्र में दिये गये नियम एवं शर्तों तथा संबंधित दस्तावेज इस अनुबंध के अंग है।

18. धान/खाद्यान्न परिवहन हेतु समय–समय पर राज्य शासन एवं विपणन संघ द्वारा जारी निर्देश निविदा के भाग माने जायेगे।

19. मैं (पक्ष क्रमांक 2) इस बात की पुष्टि करता हूं कि हमें/मुझे उक्त दरों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभार देय नहीं होगा। उपरोक्त दरों में सभी प्रकार के कर एवं अन्य वैधानिक उत्तरदायित्व सम्मिलित है।

आज दिनांक ..... को इकरारनामा में हस्ताक्षर किये।

गवाह :–

1. नाम .....
   पता .....
   .....
   हस्ताक्षर .....

   पक्ष 01 छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ की ओर से

2. नाम .....
   पता .....
   .....
   हस्ताक्षर .....

   पक्ष 02 परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

1.1. This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on day of the month 20, between, the **Chhattisgarh State Co-operative Marketing Federation Ltd.** acting through Shri_____(Designation of the officer, Department) (hereinafter called the "**BUYER/PRINCIPAL**", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (Name of the Stores/Equipment/Work/Service/Materials) and M/s._____ represented by Shri_____ Chief Executive Officer/Authorised Signatory (hereinafter called the **"BIDDER/SELLER/CONTRACTOR"**, which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors and permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/ has offered.

1.2. WHEREAS the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is a Private Company/Public Company/ Government Undertaking/ Partnership/Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER/PRINCIPAL is a Registered Co-operative Society under the provisions of Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to:-

2.1. Enabling the BUYER/PRINCIPAL to obtain the desired Stores/Equipment /Work/Service/Materials at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and.

2.2. Enabling BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER/PRINCIPAL will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER/PRINCIPAL

The BUYER/PRINCIPAL commits itself to the following:-

3.1. The BUYER/PRINCIPAL undertakes that no official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2. The BUYER/PRINCIPAL will, during the pre-contract stage, treat all BIDDER /SELLER/CONTRACTORs alike, and will provide to all BIDDER/ SELLER/ CONTRACTORs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR which could afford an advantage to that particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR in comparison to the other BIDDER/SELLER/CONTRACTORs.

3.3. All the officials of the BUYER/PRINCIPAL will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official(s) is reported by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL with the full and verifiable facts and the same is *prima facie* found to be correct by the BUYER/PRINCIPAL, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER/PRINCIPAL and such a person shall he debarred from further dealings related to the contract process. In such a case, while an enquiry is being conducted by the BUYER/PRINCIPAL, the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF BIDDER/SELLER/CONTRACTORS

The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following:-

4.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further confirms and declares to the BUYER/PRINCIPAL that the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER/PRINCIPAL or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

4.4. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER/PRINCIPAL or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

4.5. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.6. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

4.7. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER/PRINCIPAL as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

4.8. The BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

4.9. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

5.1 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify B1DDER's exclusion from the tender process.

5.2. If the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR makes incorrect statement on this subject, BIDDER/SELLER/CONTRACTOR can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)

6.1. Every BIDDER/SELLER/CONTRACTOR while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP/Tender Documents as Earnest Money/Security Deposit, with the BUYER/PRINCIPAL through any of the following instruments:

(i) Bank Draft or a Pay Order in favour of...

(ii) A confirmed guarantee by an Indian Nationalised Bank, promising payment of the guaranteed sum to the..... (BUYER/PRINCIPAL) on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER/PRINCIPAL shall be treated as conclusive proof of payment.

(iii) Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP/Tender Documents).

6.2. The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR and BUYER/PRINCIPAL, including warranty period, whichever is later.

6.3. In the case of successful BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of Performance Bond in case of a decision by the BUYER/PRINCIPAL to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

6.4. No interest shall be payable by the BUYER/PRINCIPAL to the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

7.1. Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR) shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to take all or *any* one of the following actions, wherever required:-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR. However, the proceedings with the other BIDDER/ SELLER /CONTRACTOR(s) would continue.

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER/PRINCIPAL and the BUYER/ PRINCIPAL shall not be required to assign any reason therefore.

(iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

(iv) To recover all sums already paid by the BUYER/PRINCIPAL, and in case of the Indian BIDDER/SELLER/CONTRACTOR with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate of _____ (Name of the Bank/Financial Institution) while in case of a BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from a country other than India with Interest thereon at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from the BUYER/ PRINCIPAL in connection with any other contract such outstanding payment could also be utilized to recover the aforesaid sum and interest

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished *by* the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR, in order to recover the payments, already made by the BUYER/PRINCIPAL, along with interest.

(vi) To cancel all or any other contracts with the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such cancellation/rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

(vii) To debar the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from participating in future bidding processes of the BUYER/ PRINCIPAL for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER/ PRINCIPAL.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER/SELLER/CONTRACTOR(s) to *any* middlemen or agent or broken with a view to securing the contract.

(ix) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER/PRINCIPAL with the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR, the same shall not be opened.

(x) If the BIDDER /SELLER/CONTRACTOR or any employee of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any person acting on behalf of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER/PRINCIPAL, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER/PRINCIPAL has financial interest/stake in the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR's firm, the same

shall be disclosed by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR at the time of tilling of tender. Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to rescind the contract without payment of *any* compensation to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependent upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependent upon Government servant

(xi) The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER/PRINCIPAL, and if he does so, the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR. The BIDDER /SELLER/ CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.

7.2. The decision of the BUYER/PRINCIPAL to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR shall be final and conclusive on the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR. However, the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8. FALL CLAUSE

8.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would he refunded by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL, if the contract has already been concluded.

9. INDEPENDENT' MONITORS

9.1. The BUYER/PRINCIPAL will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

9.2. The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

9.3. The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.

9.4. Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR Subcontractor(s) with confidentiality.

9.5. As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designated by *the* BUYER/PRINCIPAL.

9,6. The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/PRINCIPAL/Secretary of the BUYER/PRINCIPAL within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/ PRINCIPAL/ BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations

10. FACILITATION OF INVESTIGATION

in case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER/PRINCIPAL or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR shall provide necessary information of the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination,

11. LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER/PRINCIPAL i.e at **RAIPUR Chhattisgarh**.

12. OTHER LEGAL ACTIONS

The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13. VALIDITY

13.1. The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR whichever is later, In case BIDDER/SELLER /CONTRACTOR is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.

13.2. If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; *the* remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

14. The parties hereby sign this Integrity Pact at ..... on.....

BUYER/PRINCIPAL
BIDDER/SELLER/CONTRACTOR
Name of the Officer
CHIEF EXECUTIVE OFFICER/AUTHORISED SIGNATORY
Destination
Chhattisgarh State Co-operative Marketing Fed.Ltd.

Witness **Witness**

1) _____ **1)** _____

2) _____ **2)** _____

INFORMATION & INSTRUCTIONS TO THE BIDDERS OF CHHATTISGARH STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDRATION LIMITED.

FOR e-PROCUREMENT SYSTEM (***https://cgmarkfed.in***) of Chhattisgarh State Co-Operative Marketing Fedration Limited.

Special conditions and Instructions for e-Procurement System as given in the subsequent pages will over-rule the conditions stated in the Tender document wherever relevant and applicable.

1. **Enrollment/Registration & Empanelment of the Contractors/Bidders on Government of Chhattisgarh's e-Procurement Portal.**

   In order to participate in the tenders floated using the e-Procurement System, all contractors/ bidders are required to get enrolled on the e-Procurement portal (*http:eprocurement.chips.gov.in*) and the get empanelled (if required by the Department) on the sub-portal of Chhattisgarh State Co-operative marketing fedration ltd., Chhattisgarh at *http://cgmarkfed.in.*

   Only after concerned officer approves the empanelment of the contractor/bidder online, the contractor/bidder shall be allowed to participate in the tenders floated by the Department using the e-Procurement System.

2. **Set-up of Machine:**

   In order to operate on the e-Procurement System, setting of User's Machine is required. For which the User has to install some utilities in his machine as per the instructions in Help Manual for Machine Setup (Available for download on the e-Procurement Portal). The copy of the same may be obtained From Service Provider of the e-Procurement system: ***"Wipro Limited in consortium with the M/s NexTenders (India) Pvt. Ltd."***

3. **Obtaining a Digital Certificate:**

   The bids submitted online should be signed electronically with a Digital Certificate to establish the identity of the bidder bidding online. These Digital Certificates are issued by an approved certifying authority, authorized by the Controller of Certifying Authorities, Government of India.

   A Digital Certificate is issued upon receipt of mandatory identity proofs and verification letters attested by Gazetted Officer. Only upon the receipt of the required documents, a digital certificate can be issued.

   The registered contractors may obtain information required to issuance of a class II Digital Signature Certificate from the Controller of Certifying Authorities *(www.cga.gov.in)* or the Service Provider of e-Procurement system of Government of Chhattisgarh:

   Wipro Limited in Consortium with NexTenders (India) Pvt. Ltd.

   B-31 "saket"
   Opp Gulab Industries,
   Shailendra Nagar,
   Raipur.
   Tel. No. 0771 - 40 79 400, 42 21 020, Fax No.0771 4221023
   E-mail: raipur@nextenders.com

   Important Note: Submission of Bids for a particular tender shall be done only using the digital certificate. In case, during the process of a particular tender, the user looses his Digital Certificate (i.e. due to virus attack, hardware problem, operating system problem etc.) he may not be able to submit the bid online. Hence the users are advised to back up the certificate and keep the copies at safe places under proper security to be used in case of emergencies.

   In case of online tendering, the digital certificate issued to the authorized user of a firm and used for electronic tendering will be considered equivalent to no-objection certificate/power of attorney to that user. The firm has to authorize a specific individual via an authorization certificate signed by all partners to use the digital certificate as per Indian *IT Act 2000*. Unless the certificate is

revoked, it shall be assumed to represent adequate authority of the user to bid on behalf of the firm for the Chhattisgarh State Co-Operative Marketing Fedration Limited tenders as per *Information Technology Act 2000.* The digital signature of this authorized user will be binding on the firm, it shall be the responsibility of management/partners of the registered firm to inform the Certifying Authority or Sub-Certifying Authority, if the authorized user changes, and apply for a fresh digital certificate and issue a fresh *'authorization certificate'* for the new user. The same procedure holds true for the authorized users in a Private/Public company. In this case, the authorization certificate will have to be signed by the directors of the company.

4. **Opening of an Electronic Payment Account:**

   For submitting the bids online, the contractors/bidders are required to make online payment using the electronic payments gateway service as mentioned in the NIT.

   Arrangements have been made for Contractors/Bidders to make payments online via Credit Card/Cash Cards/Internet Banking. The different modes of electronic payments accepted on the e-Procurement System is available and can be viewed online on the e-Procurement Website (*http://eprocurement.chips.gov.in*).

5. **Payments for submission of bids online:**

   The Tender Documents may be downloaded free of cost from online GOC e-Procurement Portal by eligible Contractors/Bidders. The Contractors/Bidders are required to make the payment for bid hash submission through online payment modes mentioned in *Point No.4* above. *In Online Tendering, the "Application Form" for the issue of Tender Documents shall not be required."*

   The suppliers shall submit the bids by making online payment of Bid Hash Submission fees using the service of the secure electronic payments gateway, and print out the system generated receipt of their reference which can be produced whenever required.

   The secure electronic payments gateway is an online interface between Contractors/ Bidders and Credit Card/Online payment authorization network.

   Submission of Bids, EMD and other Documents will be governed by the time schedules given under "Key Dates" on the online e-Procurement System Portal for the particular tender.

(Please refer to the Help Manual for viewing of New Tenders online on the e-Procurement Portal)

6. **Tender Download:** Eligible/Interested Bidders can download the Tender Document online.
7. **Submission of Bid Seal (Hash):** The online submission of bids will be preceded by submission of the "digitally signed bid seal (hash)" as stated in the tender time schedule (Key Dates) published in the NIT. The contractors cannot change any bid data after the generation of bid seal (Hash).
8. **Generation of Super-Hash:** After the time of submission of Bid Seal (Hash) by the Contractors/Bidders has lapsed, the bid round will be closed and a "digitally signed tender Super-Hash" which will be prepared by concerned Chhattisgarh State Co-Operative Marketing Fedration Limited Department Official. This is equivalent to sealing the tender box.
9. **Submission of Actual Online Bids:** Suppliers have to submit and sign their encrypted bids (by their user Public-Key) online using their digital certificate after the generation of Super-Hash within the date and time as stated in the tender schedule (Key Dates). The electronic bids of only those suppliers who have submitted their bid seals (hashes) within the stipulated time, as per the tender time schedule (Key Dates), shall be accepted by the system. A supplier who does not submit his bid seal (hash) within the stipulated time shall not be allowed to submit his bid.

10. **Submission of Earnest Money Deposit:** The Suppliers will also submit their Earnest Money Deposit as usual in a sealed physical "Cover-A" (Technical Bid) and the same should reach the stipulated time to Chhattisgarh State Co-Operative Marketing Fedration Limited. office as stated in the Tender Document, by personally along with all required documents. The Supplier shall also upload scanned copy of EMD instrument along with other details during online bidding
11. **Opening of Tender Documents:** The authority receiving the tenders or his duly authorized officer shall first open the "Envelope A" (Technical Bid) of all the contractors/Bidders and check for the validity of EMD and documents submitted in the "Envelope-A", as required by Chhattisgarh State Co-Operative Marketing Fedration Limited. In case, the requirements are incomplete, the Technical Bid of the concerned supplier received shall not be opened. The authority shall then open the bids submitted by the suppliers online through the e-Procurement website. The official shall match the hash of each bid with the hash submitted by the contractors prior to bid submission.
12. **Fill Negotiated Rates:** The Successful bidder may have to fill in Negotiated Rates if so required during this process. In case of no negotiation or no change in rates successful bidders need to complete the Fill Negotiated Rates Stage.
13. **Key Dates:** The suppliers are strictly advised to follow the tender schedule (Key Dates) for their side of tasks and responsibilities to submit their bids, as the system is time and date locked.

*****